REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2019

नारी मुक्ति आंदोलन और नारी अधिकारों में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का योगदान

प्रा. डॉ. संतोषकुमार धनसिंग कांबळे
शहाजीराजे महाविद्यालय, खटाव, ता. खटाव, जि. सातारा.

प्रास्तावना –

नारी मुक्ती के बारे में आज कल बहुत कहा जाता है। इसके लिए बहुतसी संस्थाए काम कर रही है। नारीओं की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाता है। लेकिन उनकी मूल समस्या कोई समझता हुआ दिखाई नहीं देता। डॉ. बाबासाहब ने उन समस्याओंका हमेशा के लिए हल ढूँढने की कोशिश की है। भारतीय संविधान के माध्यमसे उन्होंनें नारीओं को उनका अधिकार दिलवाया गया है। संविधान की धारा 14, 15, और 16 के अनुसार लिंग भेद मिटा दिया। संविधान की प्रस्तावना मे नारीयों के नैतिक अधिकार, कर्तव्य स्पष्ट किये है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कहते है, कि, जब तक नारीयों को संपत्ति का उत्तराधिकारी नही माना जाता तब तक उनकी गुलामी खत्म नही होगी।[1] उन्होंने केवल स्त्री मुक्ती के बारे में विचार स्पष्ट नही किए, बल्कि नारी मुक्ती के लिए आंदोलन किया। स्त्री जीवन के साथ जुडे हुए सवाल हाथ में लिए । जाति पुरस्कृत समाज व्यवस्था मे ही नारी गुलामी की जडे है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए नारी मुक्ती आंदोलन को जाति आंदोलन से जोड दिया।[2]

1) वैदिक काल में नारीओंका स्थान –

मनु पूर्व कला मे नारीओंका स्तर अच्छा था ऐसा बाबासाहब मानते थे। पहले लडकियोंको उपनयन का अधिकार था। अथर्व वेद मे इसके संदर्भ मिलते है। सुत्रानुसार नारीओंको वेद मंत्र कहने का, वेद पठ्न करने का अधिकार था। पणिनी के आष्टाध्याय के नुसार स्पष्ट होता है कि लडकियॉ गुरूकूल में जाती थी। और वेदों के अन्य शाखाएंका अध्ययन करती थी। नारी वेद पढाने का काम करती थी। इतना ही नहीं तो धर्म तत्वज्ञान जैसे विषयोंपर चर्चा करने के लिए वह सक्षम थी। इतिहास में जनक और सुलभा, यज्ञवल्क्य और गार्गी, शंकराचार्य और विद्याधारी इनकी चर्चा मशहूर है। कौटिल्य काल मे नारींओं को आजादी थी। वह तलाख मॉगती थी, पुनर्विवाह कि मान्यता थी। संपत्ति मे हिस्सा मिलता था और बालविवाह की झंझट नही थी।[3]

नारी समस्या की जड वैदिक काल में मिलती है। नारी को वेद काल में दुय्यम स्थान दिया गया था। उनको चातुर्वण्य व्यवस्था में स्थान दिया गया। नारी को धर्मग्रंथ और धार्मिक गतिविधीयॉ करने पर सक्त मनाई थी। हिंदू धर्म ग्रंथ और धर्म संहिता में नारी को नीच दर्जा दिया गया। वेद, स्मृति जैसे धर्म ग्रंथों मे नारी को दिया हुआ नीच दर्जा निचे दिए हुए उदाहरण से सिध्द होता है।

अ) नारी का स्वभाव लोंबडी जैसा धुर्त होता है। – ऋग्वेद, 10.95.10
ब) लडकी के जन्म के बाद लडके का जन्म होना ही चाहिए। – अथर्ववेद 6.2.3
क) नारीं को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नही है। – मनुस्मृती 9.3
ड) पति के मृत्यु पश्चात् नारी को सती जाना उसका आद्य कर्तव्य है। – ब्रम्हपुराण 80.75

ई) नारी का खुद पर गौरव करना उसके पति या स्वामी के प्रति रहा हुआ उसका कर्तव्य तोडने के बराबर है। – मनुस्मृती 8.371
फ) नारी ने बचपन मे पिता के अधिन, जवानी मे पति के अधिन और पति के बाद बच्चों के अधिन रहना चाहिए। – मनुस्मृती 5.48
ग) शुद्र, ढोल, पशु, नारी ये है सब ताडने के अधिकारी – रामचरीत मानस.

उपरोक्त संदर्भ के अनुसार वैदिक काल में नारी की स्थीति ज्ञात होती है। मनू ने सभी नारी का मानमरतब मिट्टी मे मिला दिया। ब्राम्हण्यवाद की रचना करके नारी हजारों साल बंदी बना दी गयी। इसलिए ब्राम्हण्यवाद नारीओं का पहले नंबर का शत्रू है।[4]

2) नारी मुक्ति का ऐतिहासिक चित्रन –

अ) गौतम बुध्द का कार्य –

बुध्द काल में नारी का स्थान महत्वपूर्ण था। उसका जन्म शुभ है ऐसा बुध्द कहते है। जिस घर की डोर नारी के हाथ होती है वह घर कभी नही डूबता। ऐसा बुध्द उपदेश करते है। सात खजानो में से नारी एक खजाना है। ऐसे बुध्द नारीओं का वर्णन करते है। और पूरी मानव जाति में नारी को सर्वश्रेष्ठ माना है। [5]

नारी को पुरूषों के बराबर स्थान देने वाले बुध्द पहले महापुरूष थे। नारी आध्यात्मिक और धार्मिक विधी कर सकती है, ऐसा माना। विशाखा गौतम बुध्द के मुख्य 80 नारी शिष्यों में से एक थी।[6] नारी का आर्थिक विकास होना महत्त्वपूर्ण था। क्योंकि नारी की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो उन्हे सम्मान और स्वतंत्रस मिलना संभव है। 25 दिसंबर 1952 को कोल्हापुर के सभा मे बाबासाहब कहते है कि, दुनिया में संपत्ति ही स्वतंत्रता का आधार स्तंभ है। जब तक नारीं को सांपत्तिक हक्क नहीं मिलता तब तब उसकी गुलामी खत्म नहीं होंगी। [7]

ब) महात्मा जोतिबा फुले की भुमिका –

19 वी सदी मे नारी मुक्ति के लिए कोशीश की गई। स्वतंत्रता के साथ नारी शिक्षा के लिए फुले ने कोशीश की। पहले उन्होने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढाया। भारतीय अछूत लडके–लडकी के लिए पहली पाठशाला शुरू की। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कहते है कि, ब्राम्हणेत्तर वर्ग ने फुलेजीं की मिटाई ऐसा नही तो इस वर्गने उनके इस वर्णन तत्वज्ञान के दगा दिया है।[8]

नारी के कोख से जन्म लेकर उसपर जुलूम करने वाले पुरूष को फुले जी ने 'गोतास काळ ठरलेला कु-हाडीचा दांडा' ऐसा कहा है।[9] आदि काल से नारी पुरूषी जोर–जबरदस्ती का शिकार होती चली आ रही है। आदिम पुरूष नारी का पीछा करके पकडकर उसपर बलात्कार करके मैथून सुख लेता था, ऐसा जोतिबा का तर्क था।[10]

महात्मा फुले पुनर्विवाह के कट्टर समर्थक थे। सन 1864 में उन्होने शेणवी जाति की एक नारी का पुनर्विवाह किया था। नारायण मेघाजी लोखंडे जी ने 'पंचदर्पण' नामक पुस्तिका लिखकर विधवा विवाह का पुरस्कार किया।[11]

क) डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की भूमिका –

महात्मा फुले और सावित्री फुले का यह कार्य डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने आगे जारी रखा। प्रारंभ से ही उन्होने नारी को अपनक आंदोलन में शामील किया था। नारी उन्नति के बिना भारतीयोंकी उन्नति नहीं होगी यह उन्होने जान लिया था। 'चुनाव का अधिकार' यह नारीयोंको दिया हुआ अधिकार उनका नारी के प्रति पहला कार्य था। सन 1927 में 'महाड तालाब' सत्याग्रह में पहले ही दिन पुरूषों के साथ नारी सक्रिय थी। डॉ. बाबासाहब कहते है कि, सिर्फ पुरूष यह लढाई नहीं लढ सकते आपको गहने, वस्त्र, रहनसहन बदलना चाहिए। दूसरे ही दिन नारी अपने वस्त्र बदल के आंदोलन मे शामील हुई। इस प्रकार मुलनिवासी नारी में क्रांतीकारी बदलाव किया।[12]

नारी संघठन करने के लिए उन्होंने 20 जुलाई 1942 मे नागपुर में ऐतिहासिक महिला परिषद का आयोजन किया। इस परिषद के लिए 25 हजार महिलाए संम्मिलीत थी। इस समय डॉ. आंबेडकर ने कहा,

''दलित वर्ग के लिए जबसे मैने अपना कार्य शुरू किया तबसे पुरूषों के साथ नारींओ का सहभाग है। इसलिए अपनी परिषद मिश्र परिषद है ऐसा आपको दिखाई देगा। नारी की उन्नति जिस प्रमाण की होगी उस प्रमाण मे समाज की उन्नति होगी ऐसा मैं मानता हूँ।[13]

ड) भारतीय नारी और हिंदू कोड बील –

डॉ. बाबासाहबने हिंदू कोड बील के माध्यम से नारी को संपत्ति का अधिकार, शादी, दत्तक, तलाक आदी अधिकार प्रदान किए। मनुवादी ब्राम्हणोंने इस बील को स्वीकार नहीं किया। इस लिए डॉ. बाबासाहब ने अपने कानुनमंत्री पद का इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा के बाद यह बील टुकडे टुकडे करके पास किया गया। सन 1956 में हिंदू मॅरेज ॲक्ट, हिंदू सक्सेसन ॲक्ट, हिंदू मायनॉरीटीज गार्डीयन ॲक्ट, ॲडाप्शन ॲक्ट, मेंटेनंन्स आदि नारी अधिकार के बारे में कानून संमत करके भारतीय नारीं को अधिकार प्रदान किया। डॉ. बाबासाहब कहते है कि, ''नेहरू इस बील के साथ रहे ना रहे। जब तक यह बील पारीत नही होता तब तक मै चूप नहीं बैठूंगा''। [14]

इ) डॉ. बाबासाहब आंबेडकर और नारी मुक्ति आंदोलन –

नारी सत्ताकारण में लिंग, समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, नेतृत्व, लिंगभेद आदि डॉ. बाबासाहब को दिखाए दिए। बाबासाहब ने नारी को आंदोलन मे सामील करना, जाति निर्मूलन करना, जिन्हे शिक्षा, अन्य सुविधा से दूर रखा है ऐसे समाज को प्रगत करना उन्होंने शुरू किया। महाड तालाब सत्याग्रह, सन 1942 में नागपुर महिला परिषद, आदि मे महिला को संघठित होने के लिए प्रोत्साहन दिया। ब्रिटीश सरकार ने अन्याय भरी परंपरा बंद की, और वैसे कानून बनाए।

1) सती पध्दति –

सती पध्दति के बारें में आर्य भट्ट के किताब में एक लेख ऐसा दिया है कि, ''अपने दुर्गनमंडीत पति का शिर (मस्तक) अपने जांघ पर रखकर स्त्री को बिठाकर पति के साथ उस नारी को जिंदा जला देना चाहिए''। महात्मा फुले इस बारे में कहते है कि, ''कुछ पत्थर दिल लोग पति के शव के साथ विधवा को जला देते है और उसके बारें में शास्त्र मे लिखते है। मगर पत्नी के मृत्यु के बाद उसके पति को जलाना चाहिए, ऐसा शास्त्र मे नहीं लिखते''। इससे यह अनुमान निकलता है कि, शास्त्रकार प्रथम श्रेणी के आदम थे।[15]

2) उत्तराधिकारी दावा और संपत्ती का अधिकार –

'हिंदू उत्तराधिकारी दावा' कानून के अनुसार नारी और पुरूष इनको समान उत्तराधिकारी दावा प्रदान होता है। सेक्शन 14 के तहत सिर्फ नारी को ही सांपत्तिक अधिकार दिया गया है। सन 1848 में पारीत हुआ 'हिंदू कोड बील' एक क्रांतीकारक उठाया हुआ कदम था। नारी उत्तराधिकारी दावे के बारे में डॉ. बाबासाहब कहते है कि, पुरूषों के बराबर उत्तराधिकारी दावा प्राप्त करने के लिए नारी को आंदोलन शुरू करना चाहिए। घरपर बैठकर या सभा, संम्मेलन, करके यह साध्य नहीं होगा। इसके लिए नारीं को खुद आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए।[16]

3) नारी शिक्षा –

पुराणे विचारों के लोग नारी शिक्षा के बारें में उदासिन थे। स्त्री–पुरूष इनके एक साथ शिक्षा को वह विरोध करते थे। इसी समय महात्मा फुले ने 1848 मे लडकीओं की शिक्षा के लिए पाठशाला शुरू की, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नारी को उनकी गुलामी और अधिकार की याद करके देनी थी। नारी शिक्षा के बारे में बाबासाहब कहते है कि, नारी कि शिक्षा पुरूंषों के साथ ही होनी चाहिए। एक साथ शिक्षा के बारें में पुराणमतवादी लोक कहते है कि, नारीं कि विनय और पुरूषों की नीति कायम रखने के लिए सात साल उम्र के बाद उन्हे अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। [17]

4) दहेज रिती–रिवाज –

दहेज यह परंपरा इज्जतदार समाज मे आम तौर से थी। दहेज कि परंपरा दलाली लेने जैसा है ऐसा प्रबोधनकार ठाकरे कहतें हैं। प्रबोधनकार ठाकरे जी ने दहेज परंपरा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। दहेज के बारे में मुकूंदराव पाटील मराठी में कहते है की, ''हुंडा नव्हे हा शुध्द असूर! की कन्या कमलिनी नाशकुंजर की अबला लता भंजक समीरा महाकूर हुंडा हा''[18]

5) देवदासी परंपरा –

देवदासी नारीं के बारे मे डॉ. बाबासाहब ने कठोर भुमिका ली। सन 11 अप्रेल 1925 मे मुंबई इलाखा बहिष्कृत परिषद मे बाबासाहब कहते है कि, देवदासी परंपरा की जडे बहुत जटील बन गयी है। इस परंपरा मे शामील लोग कानून को नही मानते। यह लोग सिर्फ अपनी लडकी के दुश्मन नही है तो पूरे समाज के दुश्मन है। इस परंपरा का प्रहार सीधे कुटूंब संस्था पर होता है। एक पत्नी एक पति यह कुटूंब पध्दति सही है। एक आदमी कि बहुत सारी पत्नीयॉ यह गलत है। कुटूंब यानी जनता के संरक्षण और पालन करने के लिए समाज ने स्थापित कि हुई संस्था है। यह संस्था चलाने के लिए स्त्री–पुरूष शुध्द, सात्विक और स्वाभीमानी हो तो उनकी संतती उनके जैसी ही निकलेगी।[19]

6) वेश्या पेशा –

वेश्या पध्दति समाज को लगा हुआ दाग है। इस पेशा को चलाने वाली नारीं को पेशा बंद करने की बाबासाहब धमकी देते है। डॉ. बाबासाहब कहते है कि, जब तक आप अपना यह पेशा बंद करके महार जाति को दाग लगाना बंद नही करोगे तब तक मै तुम्हे बताता हुँ कि, हजारो स्वयंसेवक तयार करके तुम्हे इस कामठीपुरा से निकलवा दूंगा। इस पेशे मे रहकर आपको हमारे साथ नही आने दूंगा। और आप नहीं मानेंगे तो मै यह तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करूँगा। जागो और हीन चरित्र का त्याग करो।[20]

7) महिला मजदूर –

डॉ. बाबासाहब मजदूर मंत्री पदपर कार्य करते वक्त उन्होने मजदूरों के हित के कानून मे बदलाव किया। खास तौर से नारी मजदूर के बारे में। महीला खाण मजदूरों को पुरूषों के बराबर वेतन, महिला खाण मजदूरों के लिए 'द माइन्स मॅटर्निटी बेनेफिट अमेंडमेंट बील' के माध्यम से महिला मजदूरों को प्रसव पूर्व दस सप्ताह और प्रसव के बाद चार सप्ताह छुट्टी की सहुलियत दिलाई।

8) महिला की वर्तमान स्थिती –

आजकल सभी लोग नारी सक्षमीकरण की बाते करते दिखाई देते है। लेकिन वह सीर्फ आर्थिक, राजकीय और स्वास्थ के बारें में ही है। इसमे सामाजिक स्थिति महत्त्वपूर्ण है। महिला सक्षमीकरण मे 1) स्वयं का सम्मान, 2) चुनाव हा अधिकार 3) मौके का हक्क 4) खुद के जीवन पर नियंत्रण रखने का हक्क, 5) राष्ट्रीय, आंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए यह पाच मुद्दे थे। डॉ. बाबासाहब के अनुसार महिला सक्षमीकरण महिला के कल्याण के माध्यम से ही प्राप्त होगी। आज से अपनी उन्नति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघठित होकर आंदोलन करना चाहिए। बदन पर कथल, पितल के गहने आदी निकाल के फेंक देना चाहीए।[21]

वेद पुराण इनकी वजह से नारी को तकलीफ होती है। भारतीय संविधान ने धर्म ग्रंथों का खंडन किया। महिला के उपर होनेवाले अन्याय के खिलाफ बढने वाले पहले पुरूष गौतम बुध्द ही थे। उन्होने अपने राज्य मे महिलां को समता का अधिकार दिया। महिला को ज्ञान प्राप्ती और कर्मकांड करने का अधिकार दिया। रूढि परंपरा बुध्द ने नष्ट कर दी। थेरी गाथा ग्रंथ के अनुसार (नारी को धार्मिक विधी करने का अधिकार बुध्द ने दिया था।

बौध्द धर्म के बाद नारी को दुय्यम स्थान और असमानता मनूस्मृति ने दी। भारत स्वतंत्र होने के बाद डॉ. बाबासाहब आंबेडक ने नारी को फिरसे समानता का अधिकार दिलवाया। महात्मा फुले और सावित्रीबाई इन्होने सही तौर से 19 वी शताब्दी में नारी को शिक्षा का अधिकार देकर समाज व्यवस्था को छेद दिया।

संदर्भ सूचि –

1. डॉ. बी. आर. आंबेडकर : लेखण और भाषण, खंड 8, भाग – 3 पृ. 340
2. फले आंबेडकरी चळवळीचे क्रांतीशात्र, मनोहर पाटील, पृ. 288
3. डॉ. बी. आर. आंबेडकर : लेखण और भाषण, खंड – 3 पृ. 432, 437
4. फुले आंबेडकरी चळवळीचे क्रांतीशास्त्र, मनोहर पाटील, पृ. 285
5. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखन और भाषण खंड 17 भाग 2, पृ. 118
6. हिंदू स्त्रियांची उन्नती व अवनिती, डॉ. बी. आर. आंबेडकर, पृ. 08
7. अंधश्रध्दा और स्त्री शोषण, आप्पाराव चव्हाण, प. 38
8. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखण और भाषण, खंड–20, पृ 388
9. महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, य. दी. फडके, पत्र 271
10. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय, पृ. 40
11. नारायण मेघाजी लोखंडे, मनोहर कदम, पृ. 47
12. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखन और भाषण, खंड–18, भाग 1 पृ. 145
13. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखन और भाषण, खंड–18 भाग 2 पृ. 426
14. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखन और भाषण, खंड–18 भाग 3 पृ. 288
15. महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, य. दि. फडके, पृ. 521
16. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखण और भाषण खंड 8, भाग 3, पृ. 343
17. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखण और भाषण खंड 19 पृ. 203, 204.
18. मुकूंदराव पाटील समग्र वाङ्मय, पृ. 180
19. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, मा. फ. गांजरे खंड 2 पृ. 13
20. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखण और भाषण, खंड 20 पृ. 549, 551
21. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, लेखण और भाषण, खंड 20 पृ. 549.